संख्या- 89/2016/2861/33-3-2016-100(26)/2015

प्रेषक,

सुशील कुमार मौर्य
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर,2016

विषय- चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2016- 17 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की प्रथम किस्त के आवंटन की धनराशि अवमुक्त किए जानें के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/ शा0/1073/2016-5/250/2016, दिनांक 16.11.2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 व शासनादेश संख्या-41/2015/3006/33-3-2015-100(26)/2015 दिनांक 10 नवम्बर 2015 तथा शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2016-17 के लिए बुनियादी अनुदान की धनराशि की प्रथम किशत रू. 26672987000/- (रू. दो हजार छः सौ सरसठ करोड उन्नतीस लाख सत्तासी हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन संलगन जनपदवार फाण्ट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रायोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पर्ण उत्तरदा ायित्व आपका होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-934/ दस-2008-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज

http://shasanadesh.up.nic.

का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2016-17 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयोग- 0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2- 1103/ दस-2016, दिनांक 18.11.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुशील कुमार मौर्य)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
6- संबंधित बैंकों को।
7- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.

शासानादेश संख्या- 89/2016/2861/33-3-2016-100(26)/2015 दिनांक 18.112016

का संलग्नक

चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2016- 17 में सामान्य बुनियादी अनुदान ¼बेसिक ग्रान्ट½ की प्रथम किश्त का ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि का जनपदवार फाट

धनराशि रूपये में

क्र0सं0	जनपद	वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायतों को सामान्य बुनियादी अनुदान की आवंटित धनराशि
1	2	3
1	मेरठ	358607818
2	बागपत	270126272
3	गाजियाबाद	320058195
4	गौतमबुध्दनगर	228880628
5	बुलन्दशहर	436829278
6	सहारनपुर	420212721
7	मुजफ्फरनगर	378947940
8	आगरा	431450989
9	अलीगढ़	409889721
10	महामायानगर	280285136
11	एटा	276649876
12	कासगंज	242881965
13	मैनपुरी	297307098
14	मथुरा	339317287
15	फिरोजाबाद	324413898
16	बरेली	439194074

http://shasanadesh.up.nic.

17	बदायू	387446941
18	पीलीभीत	317245196
19	शाहजहापुर	375758197
20	मुरादाबाद	326918085
21	अमरोहा	273260193
22	रामपुर	297503778
23	बिजनौर	478875484
24	लखनऊ	381153669
25	रायबरेली	397842342
26	अमेठी	368458537
27	हरदोई	542405073
28	उन्नाव	420663408
29	सीतापुर	604134707
30	खीरी	547268591
31	फैजाबाद	358383408
32	अम्बेडकरनगर	342915407
33	सुल्तानपुर	364664039
34	बाराबंकी	456708297
35	गोण्डा	444493118
36	बलरामपुर	293173669
37	बहराइच	415245957
38	श्रावस्ती	188841424
39	इलाहाबाद	632599245
40	कौशाम्बी	287619983
41	फतेहपुर	371873696
42	प्रतापगढ़	432376951
43	वाराणसी	352479909

http://shasanadesh.up.nic.

44	चन्दौली	290177838
45	गाजीपुर	464483396
46	जौनपुर	581055526
47	मिर्जापुर	375136856
48	सोनभद्र	373818142
49	सन्तरविदासनगर	253250967
50	हमीरपुर	217719481
51	बांदा	278366610
52	चित्रकूट	234770159
53	महोबा	208318839
54	गोरखपुर	502048738
55	महाराजगंज	358975475
56	देवरिया	396766284
57	कुशीनगर	449697123
58	बस्ती	343431385
59	संतकबीरनगर	266336035
60	सिद्धार्थ नगर	336549127
61	आजमगढ़	588156015
62	मऊ	294395176
63	बलिया	409927125
64	कानपुर नगर	280315704
65	कानपुर देहात	331410707
66	फर्रूखाबाद	277916267
67	कन्नौज	267188381
68	इटावा	265609636
69	औरैया	258639770
70	झांसी	278115716

http://shasanadesh.up.nic.

71	ललितपुर	252317758
72	जालौन	248848394
73	शामली	239814289
74	सम्भल	304320324
75	हापुड़	329747557
	योग-	**26672987000**

(रू. दो हजार छः सौ सरसठ करोड़ उन्नतीस लाख सतासी हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.